राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2015
जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं,
जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

जयपुर दिनांक
22 DEC 2022

विषय :– श्रमिकों को ग्रुपवार अलग–अलग दरों से (Differential Rate) भुगतान करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/मा.द./2010–11 दिनांक 20.07.2010 एवं पत्रांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2015 दिनांक 20.04.2016 एवं 12.03.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा ग्रुपवार मूल्यांकन करने एवं तद्नुसार ही अलग–अलग ग्रुप के टास्क के अनुसार अलग–अलग दरों से भुगतान करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। प्रासंगिक पत्रों की पालना में इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. रोजगार मांगने वाले आवेदकों से 5–5 व्यक्तियों के समूह में फार्म संख्या 6 प्राप्त कर, समूहवार श्रमिकों की सूची का इन्द्राज कर ही ई–मस्टररोल जारी की जावे।
2. मेट द्वारा प्रतिदिन कार्य समाप्ति पर समूहवार कार्य की माप कर मस्टररोल के पृष्ठ भाग पर माप का इन्द्राज किया जावे। समूह के कार्य में किसी दिन निर्धारित टास्क अनुसार रही कमी को दूसरे दिन मेट द्वारा उसी श्रमिक समूह से पूरा करवाने का प्रयास किया जावे।
3. योजनान्तर्गत जिन कार्यो पर श्रमिक नियोजन 20 या अधिक है, उन कार्यो पर मेट का नियोजन भी किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार ऐसे कार्य जिन पर मेट का नियमानुसार नियोजन किया गया है, उन समस्त कार्यो पर मेट द्वारा प्रतिदिन श्रमिक उपस्थिति NMMS के माध्यम से की जाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
4. समूहवार प्रतिदिन किये गये कार्य की माप के आधार पर मेट द्वारा मस्टररोल में प्रतिदिन कार्य की माप का अंकन करवाया जावे एवं पखवाडा समाप्ति उपरान्त मेट मस्टररोल पर ही समूहवार किये गये कार्य के आधार पर समूह की कुल राशि एवं समूह के प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन देय राशि का मूल्यांकन अंकित करेगा।
5. कार्यरत श्रमिकों को उनके द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य के बारे में जानकारी संलग्न श्रमिक कार्ड (श्रमिकों के समूह की दैनिक मजदूरी का गणना प्रपत्र)में मेट द्वारा अंकित कर दी जावे।
6. कार्यो पर प्रशिक्षित मेटों का ही नियोजन किया जावे। इस हेतु समय–2 पर मेटों को कार्य की समूहवार माप एवं गणना इत्यादि के बारे में प्रशिक्षित किया जावे। यदि प्रशिक्षित मेट द्वारा प्रतिदिन बिन्दु संख्या 2 से 5 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित नही की जाती है तो ऐसे मेटों को हटा दिया जावे एवं भविष्य में मेट हेतु नियोजित नही किया जावे।
7. महिला मेटों की निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए पैनल बनाया जाकर प्रशिक्षण दिया जावे। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी जावे। कम से

कम 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जावें। यदि इस श्रेणी में महिला उपलब्ध नहीं हो तो अन्य श्रेणी से रखकर 50 प्रतिशत कोटा पूर्ण किया जावे। (विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शिका/2019 दिनांक 06.10.2022)

8. **कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा पखवाडा समाप्ति उपरान्त कार्यस्थल पर कार्यरत समस्त श्रमिक समूहों की इकजाई माप कर समस्त कार्य की कुल राशि का आंकलन किया जावे एवं मेट द्वारा पखवाडे में करवाये गये समस्त कार्य की कुल राशि की तुलना में (विभाग द्वारा दी गयी शक्तियों के अनुसार मूल्यांकन प्रमाणित किये जाने पर) अनुपात निर्धारित करते हुए प्रतिशत गुणांक निकालकर मस्टररोल में अंकन किया जावे। तद्नुसार इस प्रतिशत गुणांक के आधार पर समूहवार कार्यरत श्रमिकों की भुगतान सूची तैयार की जावे।**

9. प्रत्येक पखवाडा समाप्ति उपरान्त प्रत्येक तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता संलग्न प्रपत्र (Form GM - Group Measurement) में स्वयं के कार्य क्षेत्र के समस्त प्रगतिरत कार्यों पर कार्यवार कार्यरत कुल समूहों में से ऐसे समूहों की संख्या अंकित करेंगे, जिनकी प्रति श्रमिक प्रति दिवस मजदूरी समान आई है। साथ ही असमान समूह में से प्रति श्रमिक प्रति दिवस अर्जित अधिकतम एवं न्यूनतम मजदूरी का अंकन भी करेगें।

10. इस सूचना के आधार पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समीक्षा कर, समूहवार माप को सुनिश्चित किया जावे एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर को प्रत्येक माह की 3 व 16 तारीख को संलग्न प्रपत्र (Form MC -Measurement Certificate) में समूहवार माप व भुगतान व्यवस्था के संबंध में अवगत करवाएगा।

11. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वारा प्रतिमाह उक्त व्यवस्था की समीक्षा की जावे तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाये जावें।

उक्त समूहंवार श्रमिकों के नियोजन एवं माप व भुगतान की व्यवस्था को संपूर्ण जिले में सख्ती से लागू करें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस